न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 46/2016 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्रीमती शरीफन पुत्री नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी लोहारों का बास, ग्राम रोहट, तहसील रोहट जिला पाली हाल मुकाम शिफत हुसैन कॉलोनी, रामबाग की पीछे, महामन्दिर जोधपुर		1. श्रीमती हुरमत पत्नी नूरमोहम्मद उम्र बालिग, मुसलमान निवासी ग्राम रोहट तहसील रोहट जिला पाली 2. ग्राम पंचायत रोहट जरिये सरपंच रोहट, पंचायत समिति रोहट 3. ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत रोहट पंचायत समिति रोहट

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 22.01.2018

प्रार्थियां की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रोहट के मिसल संख्या 04/2010–11 दायर दिनांक 05.06.2010, संकल्प संख्या 05 दिनांक 02.10.2010 एवं उसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 29 दिनांक 21.09.2011 को निरस्त कराये जाने हेतु पेश किया। प्रार्थियां का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया जाकर ग्राम पंचायत से रेकार्ड तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थियां लम्बे समय से सुनवाई तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं रहने से बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण सूनी गई तथा गुणावगुण पर निर्णय के लिए पत्रावली का भी अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत निगरानी में प्रार्थिया निगरानीकर्ता की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थिया की एक पुश्तैनी जायदाद ग्राम रोहट तहसील रोहट जिला पाली में आई हुई है। जिसमें प्रार्थिया 1/3 हिस्से की हकदार है। जिसके पडौस उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में खुद की जमीन व बाड़ा, पूर्व में प्रकाश पुत्र श्री धन्नाराम आचार्य और पश्चिम में तेली जवरूदीन है। उक्त जायदाद का नाप दो भागों में किया हुआ है जिसमें उत्तरी भाग में उत्तर भूजा 48 फुट दक्षिण भुजा 48 फुट, पूर्वी भुजा 50 फुट एवं पश्चिम की भुजा 50 फुट एवं दुसरा भाग प्रथम भाग के दक्षिण दिशा की ओर है जो जिसका उत्तरी भुजा 60 फुट, दक्षिण भुजा 60 फुट एवं पूर्व एवं पश्चिम की दोनों भुजाएं 45–45 फुट है, दोनों भागों का कुल क्षेत्रफल 5100 वर्गफुट (460.288 वर्ग मी.) है जिसके दक्षिण हिस्से के पूर्व की ओर मांगीलाल सोनी एवं दक्षिण की ओर खुद का बाडा है। प्रार्थिया के भाई दीन मोहम्मद व बुन्दु खां ने ग्राम पंचायत से मिली भगत कर पुश्तैनी जायदाद को आपस में बांटकर चार पट्टे, पट्टा संख्या 28, 29, 30 व 31 नूर मोहम्द व हुरमत के नाम से जारी करवा दिए। जैर निगरानी पट्टा संख्या 29 हुरमत पत्नी नूर मोहम्मद के नाम से विधि विरूद्ध प्रकिया अपनाकर जारी करवाया। जो काबिल निरस्त है। पट्टा संख्या 29 दिनांक 21.09.2011 प्रार्थिया की माता हुरमत के नाम से जारी किया गया। हुरमत अभी जीवित है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत रोहट द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 नियमों के प्रतिकूल जाकर जारी किया गया है। जो काबिल निरस्त है। पट्टागृहिता द्वारा ग्राम पंचायत में कोई आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया, न ही फीस जमा कराई गई, न नक्शा फीस जमा कराई गई। नियम 146 के तहत तीन वार्ड पंचों की कमेठी मौका निरीक्षण हेतु गठित नहीं की गई। नियम 147 के तहत पट्टा जारी करने बाबत कोई अन्तरिम निर्णय नहीं लिया गया है तथा नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति इस्तिहार जारी नहीं किया गया। उपरोक्त सभी प्रावधान आज्ञापक है। जिनकी पालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई है।

क्रमशः::2

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

नियम 157 के तहत 50 वर्ष से अधिक पुराने घर पर कब्जा मानकर पट्टा जारी किया गया है। लेकिन अप्रार्थीगण का पचास वर्षो से जैर निगरानी भूमि पर किसी तरह का कोई कब्जा नहीं था। इस प्रकार पुश्तैनी भूमि का पट्टा फर्जीवाडा व नियमो की अवहेलना कर जारी किया गया है। जो खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा हुरमत पत्नी नूर मोहम्मद के नाम जारी किया गया है। उक्त पट्टा संख्या 29 दिनांक 21.09.2011 को जारी किया गया। जिस बाबत मिसल संख्या 4/2010–11 कायम की गई। इस बाबत प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 09.06.2010 आवेदन प्रस्तुत करने बाबत लिया जाकर मिसल कायम की गई एवं सचिव को नक्शा बनाने हेतु आदेश दिए गए। तत्पश्चात प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 26.07.2010 को सचिव द्वारा जैर निगरानी भूखण्ड का नक्शा पेश किया गया एवं मौका निरीक्षण हेतु उपसरपंच एवं दो वार्ड पंचों की कमेटी का गठन किया गया। प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 12.08.2010 लिया जाकर कमेटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं सचिव द्वारा बनाए गए नक्शा जो पूर्व में पेश है, का मिलान किया गया। कमेटी ने पुराना कब्जा होना बताया। इस कारण पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने बाबत एक माह का आपत्ति इश्तियार जारी करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया। दिनांक 16.09.2010 प्रस्ताव संख्या 4 के द्वारा दो–दो गवाहों के बयान लिए गए जिसमें उन्होने पुश्तैनी कब्जा होना बताया एवं प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 02.10.2010 एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया गया एवं बाद व्यतीत होने अवधि किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टागृहिता का पुराना कब्जा होना मानकर पुराने कब्जे के आधार पर जैर निगरानी भूमि का विक्रय विलेख 200/– रू. में जारी करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही नियमानुसार प्रस्ताव पारित कर पट्टा जारी किया गया है। जिसका उपपंजीयक रोहट के द्वारा दिनांक 05.10.2011 को पंजीबद्ध भी करवाया एवं पंजीबद्ध विक्रय विलेख को निरस्त करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को ही है तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि न्यायालय सी.जे.एम. कोर्ट पाली में प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी खारिज हो चुका है। पट्टागृहिता के पति नूर मोहम्मद जी के नाम उक्त आराजी का पट्टा संख्या 6 दिनांक 21.02.1960 संकल्प संख्या 33 दिनांक 13.12.1959 जरिये निलामी रूपये 95/– क्रय करने से उनके नाम जारी किया गया था। नूर मोहम्मद जी ने अपने जीवन काल में दिनांक 23.06.1976 द्वारा अपनी पत्नी हुरमत के पक्ष में बख्शीश कर हस्तांतरित कर दिया था, तब से अप्रार्थिया हुरमत बतौर मालिक काबिज है। जैर निगरानी पट्टा नवीनीकरण के रूप में पुनः जारी करवाया है। जैर निगरानी पट्टे से अलग से कोई हक–हकूक अप्रार्थीया हुरमत का प्राप्त नहीं हुए है। जबकि बख्शीशनामे अनुसार पहले से हक प्राप्त हो चुके है। जिसे चुनोति देने का प्रार्थिया को कोई हक अधिकार नहीं है। अप्रार्थिया अपने पति के समय से जैर निगरानी पट्टासुदा मकान में काबिज है। जिसको करीब 57 वर्ष हो जाने से भी अप्रार्थिया उसकी पूर्ण रूप से अधिकारिणी है। अप्रार्थिया के विरूद्ध प्रार्थिया द्वारा पुलिस थाना रोहट में एफ.आई.आर. संख्या 69/2017 दर्ज करवाई जिसमें पुलिस थाना रोहट द्वारा अदम वकू संबंधित न्यायालय में एफ.आर. नम्बर 30 दिनांक 17.06.2017 पेश कर दी गई है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी बिना आधारों के प्रस्तुत किए जाने से खारिज की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया ने भूमि को पुश्तैनी अपने पिता की व दादा के समय की बताया है।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमशः::3

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति के पैरा संख्या 6 में उल्लेख किया है कि अप्रार्थिया हुरमत के पति नूर मोहम्मदजी के नाम का पट्टा संख्या 6 दिनांक 21.02.1960 संकल्प संख्या 33 दिनांक 13.12.1959 द्वारा जरिये निलामी रूपये 95/– में क्रय करने पर जारी हुआ था। नूर मोहम्मद जी ने अपने जीवनकाल में जरिये पंजीबद्ध बख्शीशनामें के दिनांक 23.06.1976 को अपनी पत्नी अप्रार्थिया हुरमत के पक्ष में बख्शीश कर हस्तांतरित कर दिया था, तब से अप्रार्थिया बतौर मालिक काबिज है। बख्शीशनामें के क्रम में ही अप्रार्थिया द्वारा जैर निगरानी पट्टा नवीनीकरण के रूप में पुनः जारी करवाया है, इससे अलग से कोई हक हकूक अप्रार्थिया को प्राप्त नहीं हुए है। जबकि बख्शीशनामे अनुसार हक हकूक 23.06.1976 से ही अप्रार्थिया को प्राप्त हो चुके है, जिसको चुनोति देने का हक प्रार्थिया को नहीं है। प्रार्थिया द्वारा इस प्रकरण में भी अप्रार्थीगण बुन्दुखां, दीन मोहम्मद, ग्राम पंचायत रोहट व ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत रोहट के नाम भी एफ.आई.आर. 69/2017 पुलिस थाना रोहट में पेश की जिस बाबत पुलिस ने प्रकरण में नतीजा आदेश एफ.आर. संख्या 30 दिनांक 17.06.2017 अदम वकू में स्वीकृत कराने हेतु संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। न्यायालय सी.जे.एम. कोर्ट पाली में प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी अधिवक्ता अप्रार्थी के कथनानुसार खारिज हो चुका है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी विक्रय विलेख 05.10.2011 उपपंजीयक रोहट के कार्यालय में पंजीकृत किया हुआ है। ग्राम पंचायत रोहट द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के सभी नियमों की पालना करते हुए की गई कार्यवाही बाबत क्रमशः प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 09.06.2010, प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 26.07.2010, प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 12.08.2016, प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 16.09.2010 एवं प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 02.10.2010 नियमानुसार सर्वसम्मति से पारित कर की गई। जो कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट है तथा विधि सम्मत है। ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त जैर निगरानी पट्टा भूमि से संबंधित पत्रावली न्यायालय में प्रेषित नहीं की है। ऐसी स्थिति में मात्र इस कारण से पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही को प्रश्नगत करने का कोई ठोस आधार नहीं माना जा सकता फलस्वरूप जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 04/2010–11 दायर दिनांक 05.06.2010, संकल्प संख्या 05 दिनांक 02.10.2010 एवं उसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 29 दिनांक 21.09.2011 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत रोहट से प्राप्त मूल रेकर्ड प्रेषित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, पाली